



# आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

ठेकेदारों के पंजीकरण/नवीनीकरण धनराशि जमा किये जाने संबंधी सूचना।

आगरा विकास प्राधिकरण में ठेकेदारों के वर्ष 2017-18 में पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु अर्ह पाये ठेकेदारों की सूची प्राधिकरण की वेबसाईड पर एवं नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध करायी गयी थी एवं इस आशय की सूचना समाचार पत्रों में दिनांक 19.10.2017 को प्रकाशित करायी गयी थी। अभी भी कुछ ठेकेदारों द्वारा पंजीकरण/नवीनीकरण शुल्क जमा नहीं कराया गया है। इस सम्बन्ध में अन्तिम रूप से सूचित किया जाता है कि पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु सूची में उल्लिखित देय धनराशि दिनांक 10.12.2017 तक प्राधिकरण कोष में जमा कर रसीद सहा0अभि0 (तक0) कार्यालय में उपलब्ध करायें। अन्यथा की स्थिति में उनके पंजीकरण/नवीनीकरण स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे एवं ठेकेदार प्राधिकरण की निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे।

मुख्य अभियन्ता

आगरा विकास प्राधिकरण,

आगरा।

27/11/2017